

राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर

क्रमांक : मुसप्र/2017/1027

दिनांक : 17/02/17

आदेश

खण्ड चित्तौडगढ़ के अधिन विभिन्न आवासीय योजना में उपलब्ध सरप्लस आवासीय भूखण्डों को नीलामी के माध्यम से (जहाँ है जैसा है) की स्थिति अनुसार अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय के प्रस्ताव अनुसार नीलामी के माध्यम से नियमानुसार निस्तारण किये जाने की स्वीकृति निर्देशानुसार एतद् द्वारा प्रदान की जाती है जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	कॉलोनी का नाम	आय वर्ग	भूखण्ड संख्या	संख्या
1	सैती सेगवा रोड चित्तौडगढ़	EWS	2-E-33, 2-E-34	2
		LIG	2-D-46	1
		MIG-A	2-C-75, 2-C-75 (A) 2-C-75 (B) 3-B-16 (A)	5
2	प्रतापगढ़	MIG-B	3/32 (A)	1
		HIG	4/28, 4/28 (A), 4/29, 4/29(A),	4
3	अटल नगर निम्बाहेडा	MIG-B	4/24(A),	1
			कुल	14

अतः उक्त भूखण्ड को निम्न शर्तों पर नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जावे।

1. आवासीय योजना में आवासीय भूखण्ड आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी झुग्गिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याची को आवास/भूखण्ड आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हों लम्बित नहीं हैं।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस तथ्य को प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मंडल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं हो।

5. आवास/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के प्रस्तावों के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।

उक्त आदेशो को माननीय अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महोदय का अनुमादेन प्राप्त है।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता (मु.), प्रथम/द्वितीय/निदेशक(विधि)/ मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर/जोधपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त वृत्त.प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड.-पंचम राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
8. ✓ संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सम्बन्धित वृत्त/खण्ड कार्यालय को ई-मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी,/नागरीक सेवा केन्द्र, राज0 आ0 मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


सम्पदा प्रबंधक (मु.)